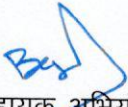


2.2
प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व० कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के
गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर
बागेश्वर

10-2016

2729

2

संख्या-2335/111(2)/16-53(प्रौआ0)/2016

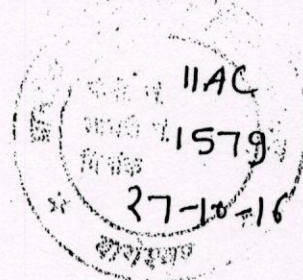
क,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

S. S. 011 CAS II
27/10/16
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून



निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गांव डूंगरपुर हेतु अमरौडा से मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

दय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र0का0, लोक निर्माण विभाग, अमरौडा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 4.00 किमी0 लागत ₹ 63.40 लाख है, पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि 3.40 लाख (रु0 तिरैसठ लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि के निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण जायेगा तत्पश्चात् शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित की जायेगी यदि शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर अनुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका निवर्तन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना आवश्यक करें।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोवचौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 16-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतओं पर परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आगणन-...

Copy to A.E. (I) Bageshwar
27/10

Photo Copy Attested
Chhavan

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

भूमि अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर गयी धनराशि से किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया येगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो सका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति तः निरस्त समझी जायेगी।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिधाय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-योजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 604/XXVII(2)/2016 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भववीर
(एसओ एसओ टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-2335/111(2)/16-53(प्रोआओ)/2016 तद्विनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

Photo Copy Attested
Chow
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

आज्ञा से,

(एसओ पांगती)
उप सचिव